न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, हरिद्वार।
मूलवाद संख्या – 50/2022
कम्प्यूटर नम्बर – 52/2022
ओमवीर आदि बनाम भवन प्रकाश आदि।

दिनांक– 04.10.2024

वाद पुकारा गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित कुमार उपाध्याय, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता राकेश कुमार चौहान उपस्थित। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र कागज सं0 4ए1 पर सुना गया। पत्रावली आज सुनवाई हेतु नियत है। पत्रावली वास्ते आदेश लन्च बाद पेश हो।
लन्च बाद

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम

कागज सं0 4ए1 व आपत्ति 18ग2–

2. उभयपक्षकारो की ओर से विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित।

3. वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम कागज सं0 4ए1 इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण आदेश दिनांक 06.03.2020 से प्रभावित पक्षकार है। प्रार्थीगण को आदेश दिनांक 06.03.2020 की जानकारी कभी नहीं हो पायी चूंकि आदेश दिनांक 06.03.2020 पूर्णरूप से एकपक्षीय आदेश है व आदेश दिनांक 06.03.2020 प्रार्थीगण को बिना सुने पारित हुआ है। माह मार्च 2020 के उपरान्त पूर विश्व में कोविड–17 महामारी के कारण समस्त देश में लॉकडाउन लग गया था। उसके उपरान्त फरवरी 2021 तक न्यायालयो की कार्यवाही बधित रहीं। उसके उपरान्त पुनः कोविड–19 महामारी के कारण पुनः न्यायालयों की कार्यवाही बधित रही। प्रार्थीगण को आदेश दिनांक 06.03.2020 व डिक्री बाबत आदेश दिनांक 06.03.2020 के सम्बन्ध में इजराय वाद की जानकारी प्राथीगण को माह जुलाई 2022 मे अन्य पक्षों द्वारा अपील की कार्यवाही बताने पर हुई। तदोपरान्त प्रार्थीगण ने अधिवक्ता नियुक्त कर आदेश व डिक्री दिनांक 06.03.2020 की प्रमाणित नकल हेतु आवेदन किया व उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 28.07.2022 में प्राप्त की तथा मौका मुआयना कराया उसके उपरान्त माननीय अदालत के समक्ष पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में कोई विलम्ब नहीं किया है। जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है परन्तु फिर भी यदि माननीय न्यायालय कोई विलम्ब समझते है तो संभावित विलम्ब को माफ किया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

4. प्रतिवादी की ओर से आपत्ति करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांकित 08.08.2022 गलत तथा झूठे तथ्यों पर आधारित करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो आपत्तिकर्ता को तंग व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं है, इसलिए निरस्त होने योग्य है। सही तथ्य यह है कि प्रार्थीगण को मूलवाद सं0 344/2012 भवन प्रकाश बनाम सुचेत आदि की जानकारी शुरू से रही है, क्योंकि मूलवाद में सुचेत की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण सं0 1 ता 3 को मूलवाद में प्रतिस्थापित कराया गया था जिसकी सूचना

भ्झी प्रतिवादीगण को दी गई थी, तथा मूलवाद में प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं ओमवीर सिंह ने दिनांक 07.01.2020 को बतौर पी डब्लू–2 अपना साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया था तथा जिरह के लिए माननीय न्यायालय में उपस्थित हुआ था जिससे आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई थी तथा विपक्षीगण सं0 4 ता 6 की ओर से जो एक साथ ही रहते है, डी डब्लू–3 के रूप में सन्दीप कुमार पुत्र शिशुपाल प्रार्थी सं0 5 में अपना साक्ष्य शपथपत्र दिनांक 15.01.2020 को प्रस्तुत किया था तथा उससे दिनांक 25.01.2020 को आपत्तिकर्ता के द्वारा जिरह की गई थी जिससे स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थीगण को उक्त वाद की जानकारी शुरू से है। इसलिए उन्हें देरी माफ का कोई लाभ कानूनन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्टोपल बाई एक्वीसेन्स एण्ड कन्डकट के सिद्धान्त से बाधित है। प्रार्थीगण ने आपत्तिकर्ता को तंग व परेशान करने तथा उसकी प्रश्नगत सम्पत्ति को नाजायज रूप से विक्रय आदि करने तथा उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उपराक्त कारणो के अलावा अन्य कारणो से भी प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

5. सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. पत्रावली के परिशीलन से दर्शित होता है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मूलवाद सं0 344 / 2012 भवन प्रकाश बनाम सुचेत सिह आदि मे पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 को अपास्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 प्रस्तुत करने मे हुई देरी को माफ किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है। मियाद अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 123 के अनुसार एक पक्षीय आदेश को अपास्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश या डिक्री पारित होने के 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना होता है।

7. वर्तमान मामले मे जैसा कि दर्शित है आदेश दिनांक 06.03.2020 को पारित किया गया। जिसके 30 दिन के भीतर यानि 06.04.2020 तक एक पक्षीय आदेश को अपास्त करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना था। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2022 को प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय को यह देखना है कि दिनांक 06.04.2020 से 08.08.2022 तक किन कारणो की वजह से प्रार्थी उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही मे पारित निर्णित दिनांकित 06.03.2020 को रिस्टोर करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रार्थी के लिए अनिवार्य है कि वह कोई पर्याप्त कारण नियत समयावधि मे रिस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का बताए। जैसा कि समय समय पर विभिन्न उच्च न्यायालयो व उत्तचतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 हेतु देरी की अवधि महत्व नही रखती अपितु देरी का उचित स्पष्टीकरण महत्व रखता है।

8. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे यह कारण बताया है कि मार्च 2020 के उपरान्त पूरे विश्व में कोविड–19 महामारी के कारण समस्त देश मे लॉकडाउन लग गया था जिसके कारण फरवरी 2021 तक न्यायालयो की कार्यवाही बाधित रही तथा जिसे उपरान्त पुनः कोविड–19 महामारी के कारण पुनः न्यायालयो की कार्यवाही बाधित रही। प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थी को उक्त वाद में अन्य पक्षो द्वारा अपील की कार्यवाही बताने पर उक्त आदेश की जानकारी हो पाई। प्रार्थी द्वारा इजराय

वाद की प्रथम बार जानकारी अन्य पक्षो द्वारा अपील की कार्यवाही उपरान्त होने का कथन किया है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय को प्रार्थी केा मूलवाद सं0 344/2012 मे पारित निर्णय की जानकारी कब प्राप्त हुई, को देखा जाना है ना कि इजराय वाद की जानकारी क्योंकि प्रार्थी मूलवाद मे पारित निर्णय को अपास्त करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.04.2020 से फरवरी 2021 तक कोविड–19 महामारी का कारण दिया परन्तु फरवरी 2021 से दिनांक 08.08.2022 तक का कोई स्पष्टीकरण अपने प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी ने नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया कि अन्य किन पक्षो द्व ारा उसे वाद मे पारित निर्णय की जानकारी दी गई और प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई अपील की प्रति पत्रावली पर दाखिल नही की है जिसका उल्लेख प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र मे करता है। फरवरी 2021 से लेकर दिनांक 08.08.2022 तक प्रार्थी द्वारा दर्शित देरी का कारण पर्याप्त प्रतीत नही होता है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि मूलवाद सं0 344/2022 मे प्रार्थी सं0 1 व प्रार्थी सं0 5 बतौर गवाह परिक्षीत हुए थे तथा प्रार्थी सं0 2 व 3 प्रार्थी सं0 1 के साथ निवास करते आ रहे है जैसा कि प्रार्थना पत्र के अनुमान से दर्शित है और इसी प्रकार प्रार्थी सं0 4 व 6 प्रार्थी सं0 5 के साथ निवास करना भी अनुमान से ही दर्शित होता है क्येांकि इनके पते एक ही दिखाए गए हैं। इस प्रकार स्पष्ट दर्शित होता है कि प्रार्थीगण केा मूलवाद की जानकारी थी। प्रार्थी स्पष्ट तौर पर देरी का स्पष्टीकरण नहीं दे पाया।

9. अतः उपरोक्त चर्चा से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कागज सं0 4ए1 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 निरस्त किया जाता है। विपक्षी की आपत्ति तदानुसार निस्तारित की जाती है। इस प्रकीण वाद मे अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही पश्चात अभिलेखागार संचित हो।

(अंजु)
सिविल जज जूनियर डिवीजन, हरिद्वार।

सिविल जज जूनियर डिवीजन, हरिद्वार।